"C-6"

B.Ed

स्वतन्त्र भारत मे स्त्री-शिक्षा

WOMEN EDUCATIONIN INDEPENENT INDIA

स्वतन्त्र भारत मे नारी की सामाजिक स्थिति मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है जिन बन्धनो में वह बँधी हुई थी वे शनैः शनैः ढीले होते जा रहे है। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उसके सम्बन्ध मे पुरुषो का दृष्टिकोण बदल रहा है। उनकी मान्यताएँ बदल रही है। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुऐ घोषित किया है। - "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग जन्म-स्थान या इनमे किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा"

उपरि अंकित सभी तथ्यो के फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत मे नारी जाति के करवट बदली है। उसने अपने वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है

Scanned by TapScanner

NATONAL COMMITTEE ON WOMEN'S EDUCATION — 1958

भारत सरकार ने सन् 1958 मे स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समीति की नियुक्ति की। इस समिति मे देश मुख समिति भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य — स्त्री-शिक्षा की विभिन्न समस्याओ का समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करता था। समिति ने फरवरी 1959 मे अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और निम्नांकित सुझाव दिए —

1. केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप मे स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

Scanned by TapScanner

2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार एवं निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार होना चाहिए।

3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिए स्त्री-शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार को प्रसार सम्बन्धी समस्त व्यय का भार ~~भार~~ अपने ऊपर लेने चाहिए।

5. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए।

Scanned by TapScanner

6. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की स्त्री शिक्षा की समस्याओ पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नामक एक पृथक इकाई की सृष्टि करनी चाहिए।

7 राज्यों मे स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदो का निर्माण किया जाना चाहिए

8. प्राथमिक एव माध्यमिक स्तरो पर बालिकाओ को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।—

Scanned by TapScanner